आवश्यक [illegible] पूर्णिमा देवी

दावा [illegible] 15/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
31.01.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 13.02.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
13.02.2025	पत्रावली वास्ते/निर्णय आदेश हेतु आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.02.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
17.02.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से [illegible] पत्रावली किया गया। इसी अनुसार [illegible] फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल द[illegible] हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
151 / 2024	2024 / 333	26.09.2024	17.02.2025

उनवान प्रकरण

1. झाबरमल पुत्र धन्नाराम जाति जाट आयु 70 साल निवासी ग्राम करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

———वादी

बनाम्

1. पूर्णिमा देवी पत्नी नानूराम आयु 75 साल
2. रामोतार आयु 50 साल
3. हरलाल आयु 48 साल
4. राजेश आयु 46 साल
5. विजयपाल आयु 44 साल
पुत्रगण नानूराम
6 झाबरमल आयु 65 साल
7. महेन्द्रसिंह आयु 50 साल
8. सुभाषचन्द्र आयु 52 साल
9. जयप्रकाश आयु 55 साल
पुत्रगण भगवानसिंह दोहिता औंकारमल
10. [illegible]मेश्वरी देवी आयु 70 साल
[illegible] छोटी देवी आयु 62 साल
12. सुमित्रा देवी आयु 58 साल
13. कौशल्या देवी आयु 56 साल
14. कमला देवी आयु 53 साल
पुत्रीयां भगवानसिंह दोहिती औकारमल
समसत जाति जाट निवासी ग्राम करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
15. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपु[illegible]कर (राज0
16. शाखा प्रबंधक पंजाब [illegible]

———[illegible]दीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थिति :—

श्री भंवर सिंह चौधरी एड0 वादी अभिभाषक।

श्री प्रकाश मूण्ड एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 की ओर से अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार प्रतिवादी संख्या—15 की ओर से।

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम करडका के कृषि भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 7.30 हैक्टर के 3/80+3/80+3/80+3/80+3/80 कुल 15/80 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या—1 ता 14 के नाम दर्ज है तथा 1/48 हिस्सा की खातेदारी वादी की माता मोहरी पत्नी धन्ना व 1/48 हिस्सा की खातेदारी वादी के भाई सरदारमल के नाम दर्ज है जिनका देहान्त हो गया। सरदारमल कुंवारा फौत हो चुका है उक्त 1/24 हिस्सा पर वादी ही काश्त करता आ रहा है। ग्राम करडका के भूमि खसरा नम्बर 715 रकबा 0.1600, 716 रकबा 0.8200 किता—2 कुल रकबा 0.9800 हैक्टर की वर्तमान में खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या—1 से 5 के नाम दर्ज है, उक्त भूमि बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कांवट के रहन दर्ज है। ग्राम करडका के भूमि खसरा नम्बर 446, 721, 746 से 751, 753, 754 किता—10 कुल रकबा 4.6700 हैक्टर की वर्तमान में खातेदारी 1/12 हिस्सा की प्रतिवादी संख्या—1 से 14 के नाम दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी संख्या—1 ता 5 के नाम दर्ज हिस्सा 1/24 बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कांवट के रहन दर्ज है। ग्राम करडका के भूमि खसरा नम्बर 278 से [illegible] किता—4 कुल रकबा 2.94 हैक्टर की वर्तमान में खातेदारी 1/4 हिससा की प्रतिवादी संख्या—1 से 14 के ससुर, दादा व नाना मृतक ऑंकार के नाम दर्ज है। ग्राम करडका की भूमि खसरा नम्बर 154 रकबा 1.0100 हैक्टर के 1/24 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या—1 से 14 की सास, दादी व नानी मृतका अणची पत्नी ऑंकार के नाम दर्ज है। ग्राम करडका की भूमि खसरा नम्बर 145 से 147, 150/889 किता—4 रकबा 1.7400 हैक्टर के 1/12 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या—1 ता 14 के नाम दर्ज है। ग्राम करडका की भूमि खसरा नम्बर 112, 113 किता—2 रकबा 2.6400 हैक्टर के 1/24 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या—1 ता 14 के नाम दर्ज है। ग्राम करडका की भूमि खसरा नम्बर 152, 153 किता—2 रकबा 3.2200 हैक्टर [illegible] हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या—1 ता 14 की सास, दादी व नानी [illegible] हनुमान के नाम दर्ज है। ग्राम करडका की भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 1.1300 हैक्टर के 1/24 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या—1 ता 14 के नाम दर्ज है। ग्राम करडका की भूमि खसरा नम्बर 752 रकबा 0.0100 हैक्टर के 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रविादी संख्या—1 ता 14 के ससुर दादा व नाना मृतक ऑंकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पुत्र दौला के नाम दर्ज है। ग्राम करडका की भूमि खसरा नम्बर 186/1, 186/2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2500 हैक्टर की खातेदारी वादी के पिता मृतक धन्ना पुत्र गोपी के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 14 दौला के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या–1 ता 14 के ससुर दादा व नाना औकारमल परिवार में कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वर्णित भूमियों का हिस्सा अकेले औंकार के नाम से दर्ज हो गया जबकि उक्त वर्णित भूमियों को प्रथम सैटिलमेन्ट के समय से वादी दादा गोपी पुत्र दौला काश्त करता था। खातेदार औंकार, अणची देवी व धन्नाराम व नानूराम, सारली फौत हो चुके है। जिनके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 14 है जिनको पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम करडका पटवार हल्का करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 7.30 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या–1 ता 14 के नाम दर्ज हिस्सा 15/80 एवं हिस्सा 1/24 की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या–1 ता 14 एवं मृतका मोहरी पत्नी धन्ना व मृतक सरदारमल पुत्र धन्ना का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर उक्त हिस्सा व वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 715 रकबा 0.1600, 716 रकबा 0.8200 किता– 2 रकबा 0.9800 हैक्टर से प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 एवं 16 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 446, 721, 746 से 751, 753, 754 किता–10 कुल रकबा 4.6700 हैक्टर में 1/12 हिससा की खातेदारी से प्रतिबादी संख्या–1 से 14 एवं 16 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें एवं खसरा नम्बर 278 से 281 किता–4 रकबा 2.94 हैक्टर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी से मृतक औकार पुत्र दौला का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं खसरा नम्बर 154 रकबा 1.0100 हैक्टर में 1/24 हिससा की खातेदारी से मृतका अणची पत्नी औंकार का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं खसरा नम्बर 145 से 147, 150/889 किता– 4 रकबा 1.7400 हैक्टर में 1/12 हिससा की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या–1 से 14 का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं खसरा नमबर 112, 113 किता–'2 रकबा 2.6400 हैक्अर में 1/24 हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या–1 ता 14 का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं खसरा नम्बर 152, 153 किता–2 रकबा 3.2200 हैक्टर में 1/24 हिससा की खातेदारी से मृतका अणची पत्नी औंकार पिता हणमान का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.1300 हैक्टर में 1/24 हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या–1 ता 14 का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं खसरा नमबर 752 रकबा 0.0100 हैक्अर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी से मृतक औंकार पुत्र दौला का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे इसी प्रकार ग्राम करडका की भूमि खसरा नम्बर 186/1, 186/2 कुल किता–2 रकबा 1.2500 हैक्अर की खातेदारी से वादी के पिता मृतक धन्ना पुत्र गोपी का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि का प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जवे एवं प्रतिवादी संख्या–10 [illegible] रहन जो भूमि खसरा नमबर 715 रकमबा 0.1600 हैक्टर, 716 रकबा 0.8200 हैक्टर [illegible] संपूर्ण एवं खसरा नम्बर 446, 721, 746 से 751, 753, 754 [illegible] हैक्टर के हिस्सा 1/24 में वर्तमान भू–अभिलेख जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 के नाम दर्ज हिस्सा की भूमियों पर चला आ रहा है उसके उकत भूमियों से हटाया जाकर भूमि [illegible] नम्बर 186/1, 186/2 कुल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:42 IST
Reason: SelfAttested

किता–2 रकबा 1.2500 हैक्टर पर रहन दर्ज किया जावे। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। वादी द्वारा वादपत्र बहक प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादपत्र को डिक्री फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड डाक सम्मन से तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या– 1 ता 14 की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र मूण्ड एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या–2, 3, 5, 6 व 8 की ओर से राजीनामा व प्रतिवादी संख्या– 1, 4, 7, 9, 10 ता 14 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या–15 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से एवं प्रतिवादी संख्या–16 की तामील असालतन होकर लौटी हैं। बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या–15 व 16 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी की ओर से साक्ष्य वादी में वादी झाबरमल पुत्र धन्नाराम का मुख्य परीक्षण का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुआ। प्रकरण में वकील वादी ने प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा व इकावली जवाब दावा पेश कर दिए जाने से वादपत्र में बहस सुनी जाकर वादपत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण किये जाने हेतु बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर वादपत्र में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गयी तथा बहस पर सगौर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी सम्वत् दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया, पत्रावली में पेश जमाबंदी,– जमाबन्दियॉ, मृत्यु प्रमाण पत्र, वादी का आधार कार्ड, पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत वादी का लिखितशुदा शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 14 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार दर्ज होना प्रकट होता है। वादी के पिता के वारिसान में वादी के अलावा एक भाई सरदारमल जो अविवाहित फौत होने तथा माता मोहरी देवी के फौत होने का वादी ने मय शपथ पत्र दावे में उल्लेख किया इस प्रकार वादी के अपने पिता का एकमात्र वारीस होने से खाता संख्या 636 में सरदारमल एवं मोहरी देवी का नाम हजफ कर उनके हिस्से सहित वादी को 1/24 का काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। सजरे से वादी–प्रतिवादीगण एक परिवार के लोग प्रकट होते है लेकिन भूमियो के अलग–अलग खाते है और उनमें खातेदार भी अलग–अलग है तथा वादग्रस्त भूमियो के पैतृक होने संबंधी कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। लेकिन प्रकरण भूमि के अदला–बदली [illegible] बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा/इकबालिया बयानों के मा[illegible]नी सहमति प्रकट की है तथा साक्ष्य में वादी ने अपना लिखि[illegible] अतः कृषि भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 7.30 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या–1 ता 14 [illegible] हिस्सा 15/80 एवं हिस्सा 1/24 की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या–1 ता 14 एवं मृतका मोह[illegible]त्नी धन्ना व मृतक सरदारमल पुत्र धन्ना का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर उक्त हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दर्ज किए जाने एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 715 रकबा 0.1600, 716 रकबा 0.8200, किता– 2 रकबा 0.9800 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि का वादी का खातेदार काश्तकार दर्ज किए जाने एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 448, 747, 749 से 751, 753, 754 किता–10 कुल रकबा 4.6700 हैक्टर में 1/12 हिस्सा की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या–1 से 14 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि का वादी का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना एवं खसरा नम्बर 278 से 281 किता–4 रकबा 2.94 हैक्टर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी में मृतक ओंकार पुत्र दौला का नाम हजफ किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाए एवं खसरा नम्बर 154 रकबा 1.0100 हैक्टर में 1/24 हिस्सा की खातेदारी में मृतका भग्वती पत्नी ओंकार का नाम हजफ किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना एवं खसरा नम्बर 145 से 147, 150/889 किता– 4 रकबा 1.7400 हैक्टर में 1/12 हिस्सा की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या–1 से 14 का नाम हजफ किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना एवं खसरा नम्बर 112, 113 किता–2 रकबा 2.6400 हैक्टर में 1/24 हिस्सा की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या–1 ता 14 का नाम हजफ किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना एवं खसरा नम्बर 152, 153 किता–2 रकबा 3.2200 हैक्टर में 1/24 हिस्सा की खातेदारी में मृतका भग्वती पत्नी ओंकार पिता हणमान का नाम हजफ किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.1300 हैक्टर में 1/24 हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या–1 ता 14 का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना एवं खसरा नम्बर 752 रकबा 0.0100 हैक्अर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी से मृतक ओंकार पुत्र दौला का नाम हजफ किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना तथा इसी प्रकार ग्राम कल्डका की भूमि खसरा नम्बर 186/1, 186/2 कुल किता–2 रकबा 1.2500 हैक्अर की खातेदारी से वादी के पिता मृतक धन्ना पुत्र गोपी का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि का प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं, लेकिन वादग्रस्त खसरान में प्रतिवादीगण 1 ता 14 के हिस्से की 3.0413 हैक्टर जबकि वादीगण के हिस्से की 1.25 हैक्टर भूमि परस्पर एक–दूसरे के हस्तांतरित हो रही है, अतः हस्तांतरित आधिक्य भूमि (3.0413-1.25=1.7913 हैक्टर) बनती है, अतः अदला–बदली में बदले में आधिक्य में स्थानांतरित हो रही भूमि 1.7913 हैक्टर का नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी वादी द्वारा राजकोष में जमा करवायें जाने के पश्चात ही राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा [illegible] है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 7.30 हैक्टर में प्रतिवादी [illegible] हिस्सा 15/80 से प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संख्या– 1 से 14 का एवं हिस्सा 1/24 की खातेदारी से मृतका मोहरी पत्नी धन्ना व मृतक सरदारमल पुत्र धन्ना का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर उक्त हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किए जाने एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 715 रकबा 0.1600, 716 रकबा 0.8200 किता– 2 रकबा 0.9800 हैक्टर से प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 एवं 16 एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 446, 721, 746 से 751, 753, 754 किता–10 कुल रकबा 4.6700 हैक्टर में 1/12 हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या–1 से 14 एवं 16 एवं खसरा नम्बर 278 से 281 किता–4 रकबा 2.94 हैक्टर में 1/4 हिससा एवं खसरा नम्बर 154 रकबा 1.0100 हैक्टर में 1/24 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 145 से 147, 150/889 किता–4 रकबा 1.7400 हैक्टर में 1/12 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 112, 113 किता–2 रकबा 2.6400 हैक्टर में 1/24 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 152, 153 किता–2 रकबा 3.2200 हैक्टर में 1/24 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.1300 हैक्टर में 1/24 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 752 रकबा 0.0100 हैक्अर में 1/4 हिस्सा कुल रकबा 3.95375 हैक्टर से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता है तथा इसी प्रकार ग्राम करडका की भूमि खसरा नम्बर 186/1, 186/2 कुल किता–2 रकबा 1.2500 हैक्टर की खातेदारी से वादी के पिता मृतक धन्ना पुत्र गोपी का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि का प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता है बैंक ऋण संबंधित काश्तकारों पर ही रहेगा तथा उक्त ऋण जमा होकर बैंक का " नो डयूस" पेश करने तथा स्थानांनतरण हो रही आधिक्य भूमि 1.7913 हैक्टर का नियमानुसार स्टॉम्प डयूटी जमा लिए जाने के उपरांत ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्तानुसार निर्णय की पालना सुनिश्चित करेंगें। तहसीलदार, श्रीमाधोपुर को [illegible] दिया जाता है कि वे प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की [illegible] कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:42 IST
Reason: SelfAttested